पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 237/2020

1. दारासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. अमरसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. प्रहलाद पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता स0 10/6 के खसरा स0 12/3 की 1.1250है0 खसरा स0 21/2 की 0.1270है0 खसरा स0 132/1 की 0.7080है0 खसरा स0 371/3 की 0.6340है0 खसरा स0 420/2 की 2.6560है0 कुल 5.2500है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 01 ता 02 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 दारासिंह प्रतिवादी सं0 01 अमरसिंह प्रतिवादी सं0 02 प्रहलाद को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.02.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आर्य

प्रकरण सं0 : 237/2020

1. दाराशिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:— वादी

ब नाम

1. अमरसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. प्रहलाद पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादी
वकील श्री सतवीर बैनिवाल: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 26.02.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता स0 10/6 के खसरा स0 12/3 की 1.1250है0 खसरा स0 21/2 की 0.1270है0 खसरा स0 132/1 की 0.7080है0 खसरा स0 371/3 की 0.6340है0 खसरा स0 420/2 की 2.6560है0 कुल 5.2500है0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा भादरराम की खातेदारी हुआ करती थी। भादरराम के वाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी वंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारस्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 3 स्टेट की ओर से जवाव पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाई गई।

Signature Not Verified

साक्ष्य वादी में [illegible] सिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि [illegible] 10/6 प्रदर्श 1 जमाबंदी सवत 2067—70 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व

Scanned with CamScanner

वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी मलसीसर खाता स0 10/6 प्रदर्श 1 जमाबंदी सवत 2067-70 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार अमरसिंह के दो पुत्र अमरसिंह व प्रहलाद के अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता स0 10/6 के खसरा स0 12/3 की 1.1250है0 खसरा स0 21/2 की 0.1270है0 खसरा स0 132/1 की 0.7080है0 खसरा स0 371/3 की 0.6340है0 खसरा स0 420/2 की 2.6560है0 कुल 5.2500है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 01 ता 02 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 दारासिंह प्रतिवादी सं0 01 अमरसिंह प्रतिवादी सं0 02 प्रहलाद को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:35:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner